



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक:- एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/अनु-3/वेज/2014/03514 / 615

जयपुर, दिनांक :

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, जिला समस्त, राजस्थान।

28 MAR 2025

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर के सम्बन्ध में।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.03.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर वर्ष 2025-26 हेतु रूपये 281/- प्रतिदिवस निर्धारित की गई है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(पुष्पा सत्यानी)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5), विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर ईजीएस को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Puspa Satyani
Designation: Commissioner
Date: 2025.03.28 17:15:02 IST
Reason: Approved





भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-262013
CG-DL-E-27032025-262013

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1445]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947

No. 1445]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

का.आ. 1463(अ).— केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 463 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2013, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची

अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए राज्य-वार मजदूरी की दर

(रु. प्रति दिन)

क्र. सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रतिदिन मजदूरी की दर रुपयों में
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	307.00 रु.
2	अरुणाचल प्रदेश	241.00 रु.

3	असम	256.00 रु.
4	बिहार	255.00 रु.
5	छत्तीसगढ	261.00 रु.
6	गोवा	378.00 रु.
7	गुजरात	288.00 रु.
8	हरियाणा	400.00 रु.
9	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र - 247.00 रु. अनुसूचित क्षेत्र - 309.00 रु.
10	जम्मू - कश्मीर	272.00 रु.
11	लद्दाख	272.00 रु.
12	झारखंड	255.00 रु.
13	कर्नाटक	370.00 रु.
14	केरल	369.00 रु.
15	मध्य प्रदेश	261.00 रु.
16	महाराष्ट्र	312.00 रु.
17	मणिपुर	284.00 रु.
18	मेघालय	272.00 रु.
19	मिजोरम	281.00 रु.
20	नागालैंड	241.00 रु.
21	ओडिशा	273.00 रु.
22	पंजाब	346.00 रु.
23	राजस्थान	281.00 रु.
24	सिक्किम	259.00 रु.
	सिक्किम (3 ग्राम पंचायतें जिनका नाम ज्ञानथांग, लाचुंग और लाचेन)	389.00 रु.
25	तमिलनाडु	336.00 रु.
26	तेलंगाना	307.00 रु.
27	त्रिपुरा	256.00 रु.

28	उत्तर प्रदेश	252.00 रु.
29	उत्तराखंड	252.00 रु.
30	पश्चिम बंगाल	260.00 रु.
31	अंडमान और निकोबार	अंडमान जिला- 342.00 रु.
		निकोबार जिला - 361.00 रु.
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	340.00 रु.
33	लक्षद्वीप	336.00 रु.
34	पुदुचेरी	336.00 रु.

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. जे-11011/1/2020-आरई-III]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण-मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड d- (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई:

- (i) का.आ. 400(अ), तारीख 13 फरवरी, 2014;
- (ii) का.आ. 2118(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014;
- (iii) का.आ. 890(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
- (iv) का.आ. 1205 (अ), तारीख 23 मार्च, 2016;
- (v) का.आ. 666 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2017;
- (vi) का.आ.1406(अ), तारीख 28 मार्च, 2018;
- (vii) का.आ.1424(अ), तारीख 26 मार्च, 2019;
- (viii) का.आ.1203(अ), तारीख 23 मार्च, 2020;
- (ix) का.आ.1206(अ), तारीख 15 मार्च, 2021;
- (x) का.आ.1427(अ), तारीख 28 मार्च, 2022;
- (xi) का.आ.1425(अ), तारीख 24 मार्च, 2023; और
- (xii) का. आ. 1562 (अ), तारीख 27 मार्च, 2024 .

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2025

S.O. 1463(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 463(E), dated the 26th February, 2013, namely:—

1. In the said notification, for the SCHEDULE, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

State-wise wage rate for unskilled manual workers

(Rupees per day)

Sl. No.	Name of States or Union territory	Wage rate in rupees per day
(1)	(2)	(3)
1	Andhra Pradesh	Rs. 307.00
2	Arunachal Pradesh	Rs. 241.00
3	Assam	Rs. 256.00
4	Bihar	Rs. 255.00
5	Chhattisgarh	Rs. 261.00
6	Goa	Rs. 378.00
7	Gujarat	Rs. 288.00
8	Haryana	Rs. 400.00
9	Himachal Pradesh	Non-scheduled areas - Rs. 247.00 Scheduled areas - Rs.309.00
10	Jammu and Kashmir	Rs. 272.00
11	Ladakh	Rs. 272.00
12	Jharkhand	Rs. 255.00
13	Karnataka	Rs. 370.00
14	Kerala	Rs. 369.00
15	Madhya Pradesh	Rs. 261.00
16	Maharashtra	Rs. 312.00
17	Manipur	Rs. 284.00
18	Meghalaya	Rs. 272.00
19	Mizoram	Rs. 281.00
20	Nagaland	Rs. 241.00
21	Odisha	Rs. 273.00
22	Punjab	Rs. 346.00
23	Rajasthan	Rs. 281.00
24	Sikkim	Rs. 259.00
	Sikkim(3 Gram Panchayats named Gnathang, Lachung and Lachen	Rs. 389.00
25	Tamil Nadu	Rs. 336.00
26	Telangana	Rs. 307.00
27	Tripura	Rs. 256.00
28	Uttar Pradesh	Rs. 252.00
29	Uttarakhand	Rs. 252.00
30	West Bengal	Rs. 260.00

31	Andaman and Nicobar	Andaman District – Rs.342.00
		Nicobar District - Rs. 361.00
32	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Rs. 340.00
33	Lakshadweep	Rs. 336.00
34	Puducherry	Rs. 336.00

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2025.

[F. No. J-11011/1/2020-RE-III]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Note- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part d-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 463(E), dated the 26th February, 2013 and subsequently amended *vide* the following notifications, -

- (i) S.O. 400(E), dated the 13th February, 2014;
- (ii) S.O. 2118(E), dated the 22nd August, 2014;
- (iii) S.O. 890(E), dated the 31st March, 2015;
- (iv) S.O. 1205 (E), dated the 23rd March, 2016;
- (v) S.O. 666 (E), dated the 28th February, 2017;
- (vi) S.O.1406(E), dated the 28th March, 2018;
- (vii) S.O.1424(E), dated the 26th March, 2019;
- (viii) S.O.1203(E), dated the 23th March, 2020;
- (ix) S.O.1206(E), dated the 15th March, 2021;
- (x) S.O.1427(E) dated the 28th March, 2022;
- (xi) S.O.1425(E) dated the 24th March, 2023; and
- (xii) S.O.1562(E) dated the 27th March, 2024.